तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/5809/2006/जोधपुर रामेश्वरलाल बनाम धर्मचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.02.2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री ओ0एल0 दवे, अधिवक्ता प्रार्थी श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी। **निर्णय** प्रार्थी द्वारा यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर, फलौदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आलोच्य आदेशानुसार सहायक कलेक्टर, फलौदी ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2006 से अप्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 सी0पी0सी0 को स्वीकार करते हुये प्रतिवादी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को अस्वीकार किया। जिससे असंतुष्ठ होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी में सुनी गयी । योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि भू–प्रबंध के समय विवादित आराजी नैनुराम की खुद काश्त की आराजी होने से सैट्लमेंट के नियमों के अनुसार तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के अनुसार नैनुराम को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया गया। तब से यह भूमि नैनुराम और उसके उत्तराधिकारीयों के नाम बहैसियत खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। नैनुराम के देहांत के बाद नामांतरकरण संख्या 173 उत्तराधिकारों के आधार पर संपतलाल के नाम स्वीकृत किया गया और उसे खातेदार दर्ज कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह दावा जनहीत का दावा नहीं है। अप्रार्थीगण मात्र प्रार्थी से आपसी	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/5809/2006/जोधपुर रामेश्वरलाल बनाम धर्मचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निजी द्वेष भाव के कारण यह दावा प्रस्तुत किया है। परंतु परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये उसके द्वारा प्रस्तुत धारा 91 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि वादीगण/अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी बाबत् प्रार्थीगण/प्रतिवादीण के विरूद्ध कोई वाद कारण प्रमाणित नहीं कर पाये है क्योंकि वादीगण/अप्रार्थीगण को विवादित आराजी में कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः उक्त आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। परंतु परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को विधि विरूद्ध बताते हुये प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का बहस में कथन किया कि विवादित आराजी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम दर्ज थी। उस वक्त मंदिर का पुजारी नैनुराम था। चुंकि मुर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिये पुजारी का नाम दर्ज किया गया था। नैनुराम के फौत होने पर विवादित आराजी बतौर पुजारी उसके पुत्र संपतलाल के नाम दर्ज हुई। परंतु उसके बाद उन्होने उक्त भूमि को अपने निजी खातेदारी में दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्ध एवं नियम विरूद्ध था। अप्रार्थी उक्त विवादित आराजी को पुनः माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम घोषित करवाना चाहता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दावा पेश करते समय अप्रार्थी ने धारा 91 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जनहित में दावा प्रस्तुत कर सकते है। प्रार्थीगण ने भी माफी मंदिर की जमीन को संरक्षण हेतु जनहित में दावा पेश किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/5809/2006/जोधपुर रामेश्वरलाल बनाम धर्मचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

इस निगरानी और निगरानीधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा 91 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वाद पूर्व से विचाराधीन चल रहा था और वाद में अग्रिम कार्यवाही की जा रही थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि जिस मंदिर माफी की वादग्रस्त भूमियों के संबंध में यह वाद विचाराधीन चल रहा है वह पालीवाल ब्राह्मण समाज द्वारा ही बनाया गया था। इस कारण से उक्त वादीगण/अप्रार्थीगण को इसके संबंध में वाद प्रस्तुत करने हेतु धारा 91 सी0पी0सी0 में दी गई अनुमति पूर्णतया तर्कसंगत एवं न्यायोचित पायी जाती है। परीक्षण न्यायालय के द्वारा धारा 91 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र में वाद में प्रस्तुत करने की वादीगण/प्रार्थीगण को विधि अनुसार अनुमति प्रदान की गई है। अतः यह निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19-07-2006 यथावत रखा जाता है। उक्तानुसार निगरानी फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य